प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता
प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जनपद अम्बेडकरनगर।

पत्रांकः परीक्षा/ 1142-48 /2024-25/ दिनांक 22.05.24

विषयः **परिषद विनियमों के अध्याय-बारह के विनियम-5 (1) में संशोधन/विद्यालय संचालन एवं शिक्षण कार्य अवधि के निर्धारण के सम्बन्ध में**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-मा0शि0प0/परिषद-9/125 दिनांक-20.05.2024 तथा विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-543/15-7-2024 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 03 मई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण किया जाय।

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-543/15-7-2024 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 03 मई 2024 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य अवधि निर्धारण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के भाग-2 (ख) के अध्याय-बारह के विनियम-5 (1) में संशोधन विषयक विस्तृत रूप से दिशा-निर्देश प्रदान किये गये है। शासन के उक्त पत्र के प्रस्तर-8 के उप बिन्दु 1 एवं 2 में विद्यालय संचालन एवं शिक्षण कार्य अवधि के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये है :-

(1) 01 अप्रैल से 30 सितम्बर- प्रातः 7.30 बजे से 15 मिनट प्रार्थना-सभा, पहली बैठक में 7.45 बजे से 40 मिनट के चार वादन, विश्रान्तिकाल 10.25 बजे से 25 मिनट, 10.50 बजे से दूसरी बैठक में 40 मिनट के चार वादन अपराहन 1.30 बजे तक।

(2) 01 अक्टूबर से 31 मार्च- प्रातः 9.30 बजे से 15 मिनट प्रार्थना-सभा, पहली बैठक में 9.45 बजे से 40 मिनट के चार वादन, विश्रान्तिकाल 12.25 बजे 25 मिनट का, 12.50 बजे से दूसरी बैठक में 40 मिनट के चार वादन अपराहन 3.30 बजे तक।

अतएव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-मा0शि0प0/परिषद-9/125 दिनांक-20.05.2024 तथा विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-543/15-7-2024 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 03 मई 2024 की प्रति संलग्न करते हुए आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पत्र में निहित/उक्त निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(गिरीश कुमार सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
02. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
03. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 प्रयागराज।
04. संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मण्डल अयोध्या।
05. समस्त नामित नोडल अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) अम्बेडकरनगर।
06. समस्त सम्बन्धित।

जिला विद्यालय निरीक्षक
अम्बेडकरनगर।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0/परिषद–9/125 दिनांकः 20-05-2024

विषयः परिषद विनियमों के अध्याय–बारह के विनियम–5(1) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया परिषद की विज्ञप्ति संख्याः मा0शि0प0/परिषद–9/76 06–05–2024 संलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो शासनादेश संख्याः 543/15–7–2024 दिनांकः 03 मई,2024 के द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य अवधि निर्धारण किये जाने हेतु परिषद विनियमों के अध्याय–बारह के विनियम–5(1) में संशोधन के सम्बन्ध में है।

उक्त विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया परिषद विनियमानुसार यथावांछित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

अपर सचिव(पा0पु0रा0)

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/परिषद–9/125-3 दिनांकः 20-05-2024

उक्त की प्रति संलग्नकों सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापित, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय,18 पार्क रोड, लखनऊ।
2–अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

अपर सचिव(पा0पु0रा0)

Scanned with CamScanner

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 मई, 2024 ई० (वैशाख 21, 1946 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

06 मई, 2024 ई०

पत्रांक संख्या : मा0शि0प0/परिषद्–9/76–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या: संख्या–543/15–7–2024 दिनांक 03 मई, 2024 के द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय–बारह के विनयम–5(1) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

स्तम्भ–1 वर्तमान अध्याय–बारह विनियम–5(1)	स्तम्भ–2 संशोधित अध्याय–बारह विनियम–5(1)
मान्यता प्राप्त संस्था, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी, जिनमें परीक्षाओं तथा पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप के दिवस भी सम्मिलित हैं, प्रतिबन्ध यह है कि "पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना" के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र के सम्बन्ध में कार्य दिवसों को उपर्युक्त संख्या 75 कार्य दिवस होगी तथा इसके साथ सम्बन्धित छात्र को पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित पाठ्य-सामग्री की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना होगा।	विद्यालय, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी, जिनमें परीक्षाओं तथा पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप के दिवस भी सम्मिलित हैं, विद्यालयों में शिक्षण एवं पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलापों की अवधि प्रतिदिन न्यूनतम 06 घण्टे (प्रार्थना सभा एवं विश्रान्तिकाल को सम्मिलित करते हुए) होगी। अपरिहार्य स्थिति में, विद्यालय बन्द किये जाने की दशा में, अवशेष घण्टों की पूर्ति विद्यालय संचालन अवधि की सीमा को बढ़ाकर किया जायेगा। विद्यालयों का संचालन निम्नवत् किया जायेगा :–

Scanned with CamScanner

स्तम्भ–1 वर्तमान अध्याय–बारह विनियम–5(1)	स्तम्भ–2 संशोधित अध्याय–बारह विनियम–5(1)
	01 अप्रैल से 30 सितम्बर– प्रातः 7:30 बजे से 15 मिनट प्रार्थना-सभा, पहली बैठक में 7:45 बजे से 40 मिनट के चार वादन, विश्रान्तिकाल 10:25 बजे से 25 मिनट, 10:50 बजे से दूसरी बैठक में 40 मिनट के चार वादन अपराहन् 1:30 बजे तक। 01 अक्टूबर से 31 मार्च– प्रातः 9:30 बजे से 15 मिनट प्रार्थना-सभा, पहली बैठक में 9:45 बजे से 40 मिनट के चार वादन, विश्रान्तिकाल 12:25 बजे से 25 मिनट का, 12:50 बजे से दूसरी बैठक में 40 मिनट के चार वादन अपराहन् 3:30 बजे तक। प्रतिबन्ध यह है कि "पत्राचार शिक्षा सतत अध्ययन सम्पर्क योजना" के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र के सम्बन्ध में कार्य दिवसों की उपर्युक्त संख्या 75 कार्य दिवस होगी तथा इसके साथ सम्बन्धित छात्र को पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित पाठ्य-सामग्री की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना होगा।

दिव्यकान्त शुक्ल,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा-परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आर०जी०एस०यू०पी०–6 हिन्दी गजट–भाग 4–2024 ई०।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
आर०जी०एस०यू०पी०–2 मा०शि०प०–10.05.2024–2,000 प्रतियां (डी०टी०पी० / आफसेट)।

Scanned with CamScanner